कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

पत्र संख्या– 405/33-1 दिनांक, मिर्जापुर,अगस्त 18, 2021.

सेवा में,

अधिशासी अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड,
लो0नि0वि0–सोनभद्र।

विषयः जनपद सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग (चैनेज सं0–0.000 से 61.50 तक) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेत ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 34.6725 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 1114 वृक्षो/पौधों के पातन एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर में प्रभावित 10.62हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 194 वृक्षों/पौधो के पातन अर्थात कुल प्रभावित 45.2925 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 1308 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः (1)मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 314/11–सी/यू.पी./रोड 59548 दिनांक 28.07.2021
(2) इस कार्यालय का पत्रांक 256/33–1 दिनांक 30.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र, सं0–2 का संदर्भ ग्रहण करे। जिसके द्वारा संदर्भगत पत्र सं0–1 जो मुख्य संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर को सम्बोधित एवं अधोहस्ताक्षरी के साथ–साथ आपको भी को पृष्ठांकित है, के कम में पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अवगत कराया गया था कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के स्तर से कतिपय बिन्दुओं पर आपत्ति/कमियों का निराकरण के पश्चात पूर्ण संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी।

आप द्वारा प्रेषित संशोधित प्रस्ताव का परीक्षण करने पर निम्न कमियों का निराकरण नहीं किया गया हैः–

1– आनलाइन अपलोड किया गया लागत लाभ विश्लेषण डिलिट कर प्रस्ताव में संलग्न संशोधित लागत लाभ विश्लेषण आनलाइन अपलोड किया जाय।

2– क्षतिपूरक वनीकरण(सी0ए0 लैण्ड) भूमि का डिजिटल मैप में शीर्षक 0.00किमी0 से 61.500किमी0 के स्थान पर 0.00किमी0 से 20.00किमी0 अंकित करते हुए आनलाइन अपलोड किया जाय।

3– क्षतिपूरक वनीकरण वन भूमि का सर्वे आफ इण्डिया के टोपोशीट मैप जो आनलाइन अपलोड है उसे डिलिट करते हुए प्रस्ताव में सलग्न संशोधित टोपोशीट आनलाइन अपलोड किया जाय।

4– आन लाइन गजट नोटिफिकेशन को डिलिट करते हुए प्रस्ताव में संलग्न सत्यापित गजट नोटिफिकेशन अपलोड किया जाय।

अतः उपरोक्त के कम में अनुरोध है कि उपरोक्त इंगित बिन्दुओं का निराकरण उपरान्त संशोधित प्रस्ताव तैयार करवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(आशुतोष जायसवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,मीरजापुर।

सख्या– 405/33-1 समदिनांक।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग ओबरा सोनभद्र को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष जायसवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,मीरजापुर।

Page238

Raj K-3

Scanned with CamScanner